Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

F.No. एस.पी./अनुबन्ध प्रस्ताव/2017-18/ Dated: 26.5.2017

निविदा सूचना

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अमानत राशि	निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय
1	प्रक्षेत्र अनुभाग के विभिन्न खण्डों पर हिस्से पद्धति के आधार पर फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध	₹5000/-	16.6.2017 को दोपहर 01.00 बजे तक

नियम व शर्ते :–

1- इच्छुक निविदादाता उपरोक्त सारणी में दर्शाये गये सभी अनुबन्ध कार्यो हेतु व्यक्तिगत रूप से कार्यालय समय (प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक) में उपस्थित होकर निर्धारित निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है अथवा संस्थान वेबसाईट **www.cswri.res.in** से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर अमानत राशि के साथ अन्तिम तिथि तक जरिय डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि (आई.सी.ए.आर. यूनिट, सी.एस.डब्लू.आर.आई. अविकानगर, के नाम से एस.बी.आई. मालपुरा शाखा मे देय हो) प्रस्तुत कर सकते है। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। साथ ही भरी हुई निविदा के साथ सभी वांछित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।

2- निविदा प्रपत्र पूर्णरूप से बन्द लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा तथा लिफाफे के उपर संबंधित अनुबन्ध कार्य का नाम पत्रावली क्रमांक एवं अन्तिम तिथि स्पष्ट अंकित होनी चाहिए।

3- संबंधित निविदादाता सारणी में उल्लेखित अनुसार अुबन्धकार्य हेतु निविदा निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 16.6.2017 को दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगतरूप से अथवा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक से निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान–304501 पर भेज सकते है। निर्धारित अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार के पोस्टल देरी (विलम्ब) के लिये संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

4- प्राप्त सभी निविदाओं को निर्धारित अन्तिम तिथि को मध्याह्न पश्चात् 03.00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जावेगा।

5- संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय के पास प्राप्त एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार पूर्णरूप से सुरक्षित है।

प्रशासनिक अधिकारी

वितरणः

1. एरिस सेल, संस्थान बेबसाईट/ सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशन हेतु ।
2. प्रभारी, प्रक्षेत्र अनुभाग निविदा सूचना को अधिक से अधिक निविदादाताओं को सूचित करने हेतु ।
3. विभागाध्यक्ष, पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग को सूचनार्थ ।
4. सभी सेक्टरों पर सूचनार्थ लगाने हेतु ।
5. नोटिस बोर्ड अविकानगर ।
6. नोटिस बोर्ड, चांदसने पंचायत, अविकानगर ।
7. नोटिस बोर्ड, तहसील,नगरपालिका, मालपुरा ।
8. पी0आई0,फार्मस परियोजना का उनके क्षेत्र में किसानों को उक्त कार्य को करने के लिए प्रेरित करने हेतु ।

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(369)एसपी/2017/ दिनांकः 26.5.2017

निविदा प्रपत्र सूची

1. भरे हुये निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 16.6.2017 दोपहर बाद 1.00 बजे तक
2. निविदा खोलने की अन्तिम तिथि दिनांक 16.6.2017 को दोपहर बाद 3.00 बजे से
3. अमानत राशि 5000/– रूपये
4. निविदा की मान्य अवधि 120 दिन

प्रक्षेत्र अनुभाग के विभिन्न खण्ड़ों पर हिस्से पद्धति के आधार पर फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध

क्रम संख्या	सैक्टर	फसल का नाम	अनुमानित क्षेत्रफल	अनुबन्धकर्ता का बीज/दाने में हिस्सा प्रति ात	संस्थान का बीज/दाने में हिस्सा प्रति ात	वि ोष विवरण
1	चॉदसेन सैक्टर	ग्वार/ मूंग/ चौंला /मोठ /मूंगफली	20 हैक्टर			सभी ब्लॉको की फसलों में चारे की पैदावार में 50 प्रति ात हिस्सा संस्थान का और 50 प्रति ात हिस्सा अनुबन्धकर्ता का होगा। परन्तु अनुबन्धकर्ता की सहमति से अपने हिस्से (50 प्रति ात) चारा को भी संस्थान को देना होगा तथा इसके भुगतान के लिए दर का निर्धारण सरकारी दरों/बाजार भाव को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
2	टाउनशीप	ग्वार/ मूंग/ चौंला /मोठ /मूंगफली	15 हैक्टर			उपरोक्तानुसार
3	मझोला	ग्वार/मूंग/चौला/ मोठ / मूंगफली	10 हैक्टर			उपरोक्तानुसार

नोटः अनुबंधकार्य अलग अलग सेक्टर के आधार पर , संस्थान को बीज एवं दाने में अधिकतम हिस्सा देने वाले अनुबंधकर्त्ता को दिया जावेगा ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर प्रक्षेत्र अनुभाग के विभिन्न खण्ड़ों पर हिस्से पद्धति के आधार पर फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध प्रस्ताव से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप अधिकतम मात्रा/दर अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.

क्षेत्र अनुभाग के विभिन्न खण्ड़ों पर हिस्से के आाधार पर फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध की नियम व शर्ते

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदे ा जारी होने से दो वर्श तक रहेगी, लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय चाहे तो कार्य की अवधि कम या एक से दो वर्श तक ओर बढ़ाई जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोशजनक रहा तो अनुबन्ध नि चित समय अवधि से पूर्व जमानत रा ि जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
2. निविदा प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूचि में द ार्या गया है)। निविदा संस्थान के निदे ाक महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 16.6.2017 तक समय 1.00 बजे (दोपहर बाद) तक प्रस्तुत करना है। स र्त, ई–मेल द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं कि जावेगी। अनुबंधकर्त्ता के पास पेन कार्ड /आधार कार्ड की फोटोप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर निविदा को स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। निविदाएँ उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएगें।
3. निविदादाता को 5000.00 (पांच हजार) रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आईसीएआर यूनिट सीएसडब्लूआरआई अविकानगर, मालपुरा **(ICAR Unit CSWRI, Avikanagar, Malpura)** के नाम से देय हो अमानत रा ि के रूप मे प्राप्त की जावेगी। बिना अमानत रा ि के निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल निविदादाता को कार्य आदे ा से पूर्व नियमानुसार जमानत रा ि जमा करानी होगी उसके उपरान्त ही कार्यादे ा जारी किया जावेगा।
4. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व अधिकतम मात्रा /दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आव यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है।
5. संस्थान द्वारा उपरोक्त कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का खर्चा वहन नहीं किया जावेगा । संस्थान द्वारा केवल जमीन उपलब्ध करवायी जावेगी ।
6. खेत की तैयारी एवं फसल का बीज, बुवाई हेतु ट्रेक्टर अनुबन्धकर्ता का होगा तथा बीज निराई–गुड़ाई व रखवाली व खेत में काम आने वाले सभी प्रकार के औजार स्वंय अनुबन्धकर्ता के होंगें ।
7. अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रक्षेत्र तैयार करने के लिए जुताई से लेकर बुवाई, कटाई तक के समस्त कार्यो के लिए तथा ग्वार का दाना निकालने के लिए ट्रेक्टर व म ीन आदि स्वंय अनुबन्धकर्ता की होगी ।
8. ग्वार/मूंग/चौला/मोठ के दाने व ग्वार/मूंगफली/बाजरे के भूसे का बटवारा सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जाएगा । संस्थान के बटवारे में आने वाले दाने व ग्वार की कुट्टी को प्रभारी प्रक्षेत्र अनुभाग या उनके प्रतिनिधियों द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर डालना होगा एवं चारे की बागर लगानी होगी/समुचित तरिके से जमाना हेगा। संथान के बटवारे का दाना व भूसा उठाने के लिए वाहन व श्रमिक की व्यवस्था स्वंय अनुबन्धकर्ता को करनी होगी ।
9. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा। श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार रखना होगा जिसे सम्बन्धित प्रभारी से प्रत्येक माह प्रमाणित करवाना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मांगी जाने पर प्रस्तुत करना होगा ।
10. उपरोक्त सभी कार्यो की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी प्रक्षेत्र व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोशजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगें, उसके बाद ही हिस्से का बंटवारा किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार हिस्से का बंटवारा किया जावेगा ।
11. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तोशजनक नहीं होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा कराई गई जमानत रा ि को जप्त कर ली जायगी एवं अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जाएगा । जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी एवं भविश्य में संस्थान में किसी भी प्रकार का अनुबन्धों से बाहर कर दिया जाएगा ।
12. खरीफ 2017 में बोई गई फसल काटने के बाद हिस्से का बटवारा संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा जोकि अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा ।
13. फसल की थ्रेसिंग के उपरान्त बीज साफ–सुथरा निकलवाकर तथा चारे को सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति के समक्ष हिस्सा करवाना/रखवाना होगा ।
14. फसल बोने से कटाई/बंटवारे तक सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी ।
15. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता /उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति रा ि नही दी जावेगी।
16. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोशजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भविश्य में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।

17. अनुबन्धकर्ता / प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की ािथिलता / गैर जिम्मेदारी / अवज्ञा की गई अथवा संस्थान की संम्पति कोई नुकसान / चौरी / क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी पूर्ति स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत रााि जब्त कर ली जावेगी।
18. मानसून एवं विविध कारणें से चारा फसलों का उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदरी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
19. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्ये प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा एवं खेती के लिए खेत का निर्धारण प्रभारी प्र–क्षैत्र / प्रभारी, सेक्टर के अनुसार होगा।
20. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर / मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
21. अनुबन्धकर्ता द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर फार्म अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं अनुबन्धकर्ता को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
22. अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत रााि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रााि को जब्त कर लिया जावेगा।
23. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
24. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदे ाक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे अनुबन्धकर्ता / फर्म / एजेन्सी / कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
25. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (हिस्सा पद्धति के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का हिस्सा पद्धति कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
26. सफल अनुबन्धकर्ता को 100 / – रूपये के नॉन ज्यूडिायिल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
27. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक / सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
28. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा प्रपत्र में द ार्ायी गई सभी भार्ते भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में द ार्ायी गई दरों पर संस्थान में विभिन्न कृषि सेक्टरों पर हरे चारें का उत्पादन करने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध / जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का पता
माबाईल नं.

संलग्नक : 1. पेन कार्ड / आधार कार्ड / वोटर आईडी की प्रतिलिपि।
2. रु 5,000 / – रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट।
3. अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।

प्रशासनिक अधिकारी,
कय अनुभाग
केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,
अविकानगर,मालपुरा,टोंक 304501